"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सबा परवीन पति मोहम्मद अब्दुल मुजीब, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नम्बर 9/बी, सड़क नं. 22, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. विद्या बंसोड़ पिता श्री व्ही. एन. बंसोड़ था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंकसूची में विद्या बंसोड़ पिता श्री व्ही. एन. बंसोड़ दर्ज है. मेरा विवाह मोहम्मद अब्दुल मुजीब पिता स्व. मोहम्मद अब्दुल गनी के साथ दिनांक 8-3-1990 को हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सबा परवीन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सबा परवीन पति मोहम्मद अब्दुल मुजीब के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. विद्या बंसोड़ पिता-श्री व्ही. एन. बंसोड़ निवासी-क्वा. नं. 9/बी, सड़क नं. 22, सेक्टर-2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती सबा परवीन पति-मोहम्मद अब्दुल मुजीब निवासी-क्वा. नं. 9/बी, सड़क नं. 22, सेक्टर-2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. शेखा डी दास (Dr. Shekha D Das) पिता डॉ. देवेन्द्र नाथ दास, उम्र 25 वर्ष, निवासी-बी-15, शकुंतला हाइट्स, सीपत रोड सरकण्डा, तहसील बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम डॉ. शिखा दास (Dr. Shikha Das) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम डॉ. शेखा डी दास रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे डॉ. शेखा डी दास (Dr. Shekha D Das) पिता डॉ. देवेन्द्र नाथ दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

Old Name

DR. SHIKHA DAS
B/15, Shakuntala Heights, Seepat Road,
Sarkanda, Bilaspur (C.G.) 495006
Mo. No. 8962462000

New Name

DR. SHEKHA D DAS
B/15, Shakuntala Heights, Seepat Road,
Sarkanda, Bilaspur (C.G.) 495006
Mo. No. 8962462000

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार पिता श्री परशुराम शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नम्बर 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री नाव्या, डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर में कक्षा 7वीं में अध्ययनरत् है. मैं अपनी पुत्री नाव्या के नाम के साथ उपनाम कुमार जोड़कर अपनी पुत्री का नया नाम नाव्या कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को नाव्या कुमार (Naavya Kumar) पिता श्री संजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नाव्या (NAVYA)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर,
फेस-1, गली 1, सीपत रोड, पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) 495006

नया नाम

नाव्या कुमार (NAAVYA KUMAR)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर,
फेस-1, गली 1, सीपत रोड, पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) 495006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार पिता श्री परशुराम शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी फ्लैट नम्बर 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर, फेस-1, गली 1, सीपत रोड बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री काव्या, डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल बसंत विहार बिलासपुर में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत् है. मैं अपनी पुत्री काव्या के नाम के साथ उपनाम कुमार जोड़कर अपनी पुत्री का नया नाम काव्या कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को काव्या कुमार (Kaavya Kumar) पिता श्री संजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

काव्या (KAVYA)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर,
फेस-1, गली 1, सीपत रोड, पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) 495006

नया नाम

काव्या कुमार (KAAVYA KUMAR)
पिता-श्री संजय कुमार
निवासी-फ्लैट नं. 306, अंजनी हाईट्स, देवनंदन नगर,
फेस-1, गली 1, सीपत रोड, पो.- एस. ई. सी. एल. बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) 495006

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2015/1105.—छ.ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे लिखित में प्रमाण सहित 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	परिसमापक का नाम (4)
1.	सृष्टि गामगार सहकारी समिति मर्या. सीपत	248/04-10-07	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
2.	सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाठा, बिलासपुर.	310/26-07-12	श्री डी. बी. ढादगवे, व.स.नि.
3.	एस. एस. उद्योग साख सह. समि. मर्या. गोलबाजार, बिलासपुर.	149/16-06-03	श्री ए. के. शर्मा, स.वि.अ. बिल्हा
4.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. नवागांव (मोहदा)	173/06-10-04	श्री एन. आर. भगत, सह.निरी. (स.वि.अ. कोटा)
5.	महिला साख सह. समि. मर्या. चांटीडीह	214/04-03-05	श्रीमती शोभा बंदे, व.स.नि.
6.	निषाद मछुआ सह. समि. मर्या. टिकरापारा बिलासपुर	3558/02-09-89	श्रीमती नमिता विश्वास, सह. निरी.
7.	महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	478/14-09-94	कु. गोधुली वर्मा, सह. निरी.
8.	भवानी महिला बहु. सह. समिति मर्या. बसिया	122/02-11-01	कु. गोधुली वर्मा, सह.निरी.
9.	विकास महिला बहु. सह. समि. मर्या. मोपका	109/26-04-01	श्रीमती मीनु अग्रवाल, उप अंके.
10.	शक्तिदाई कामगार सह. समिति मर्या. बिटकुला	272/10-08-09	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
11.	वैष्णव देवी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. अमेरी	3915/29-09-98	श्रीमती सिमरन टेकचंदानी, उप अंके.
12.	गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारी गोढ़ी (बिटकुला)	125/29-01-02	श्री ए. के. शर्मा, स.वि.अ. बिल्हा
13.	मां काली महिला बहु. सह. समि. मर्या. तिफरा	244/25-04-07	श्री श्वेता दुबे, उप अंके.
14.	दक्षिण पूर्वी रेल्वे वेंडर साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर	3531/20-07-94	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक
15.	दी टेलीग्राफ कर्म. साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर	3140/24-07-85	श्रीमती श्वेता दुबे, उप अंके.
16.	शिवशंकर महिला बहु. सह. समि. मर्या. यदुनंदननगर बिलासपुर.	3938/21-06-99	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक
17.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. चोरभट्ठीकला	193/31-01-05	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स.वि.अ. तखतपुर)
18.	जागृति महिला बहु. सह. समि. मर्या. बेलगहना	190/31-10-05	श्री एन. आर. भगत, सह. निरी. (स.वि.अ. कोटा)
19.	प्रगति महिला बहु. सह. समि. मर्या. इंदिरानगर बिलासपुर	231/14-12-06	श्रीमती नमिता विश्वास, सह.निरी.
20.	गौण खनिज सह. समिति मर्या. सिलपहरी	143/17-7-03	श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंके.
21.	अन्नपूर्णा महिला बहु. सह. समि. मर्या. बुटेना	224/29-05-07	श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंके.
22.	कृषक कल्याण सह. समि. मर्या. परसदा	3952/01-06-00	श्री एस. के. तिवारी, सह. निरी.
23.	को-आप. इम्प्लाई साख सह. समि. मर्या. बिलासपुर		श्री ए. के. शर्मा, स.वि.अ. बिल्हा

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	लक्ष्मी महिला साख सह. समि. मर्या. राजकिशोरनगर, बिलासपुर.	249/25-10-07	श्रीमती मीनु अग्रवाल, उप अंके.
25.	मां त्रिपुर सुन्दरी महिला बहु. सह. समि. मर्या. सिरगिट्टी, बिलासपुर.	239/03-01-07	श्रीमती शिवानी मुले, उप अंकेक्षक
26.	दुग्ध उत्पादक सह. समि. मर्या. राजपुर (बी)	3166/31-3-86	श्री एन. आर. भगत, सह.निरी. (स.वि.अ. तखतपुर)
27.	गिट्टी पत्थर खदान सह. समि. मर्या. नेवसा	3738/06-09-96	श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंके.
28.	श्री लखनीदेवी ढेसहार मजदूर सह. समि. मर्या. रतनपुर	3853/11-3-97	श्री आर. डी. केशरवानी, उप अंके.
29.	आदिवासी मछुआ सह.समि. मर्या. कटरा	3134/29-10-84	श्री सी. पी. बाजपेयी, व.स.नि.
30.	मां भगवती महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. सीपत	3640/09-03-95	श्री जी.डी.पाण्डेय, सह.निरी.
31.	नवोदित मछुआ सह. समि. मर्या. मल्हार	3202/12-11-87	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
32.	आदि. मछुआ सह. समि. मर्या. कोरबी	3866/19-06-97	श्री ए. के. शर्मा, स.वि.अ. बिल्हा
33.	महिला बहु. सह. समि. मर्या. धनगवां	552/05-12-09	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
34.	छ.ग. महिला बहु. सह.समि. मर्या. सिंधी कालोनी, बिलासपुर.	131/04-07-02	सुश्री संध्या सोनवानी, सह.निरी.
35.	अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर बिलासपुर	266/12-01-09	सुश्री संध्या सोनवानी, सह.निरी.
36.	सूर्य उजाला अनु. जाति मछुआ सह. समि. मर्या. केंवतरा	188/29-01-05	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
37.	राजीव गांधी मछुआ सह.समि. मर्या. जोंधरा	3735/17-01-76	श्री आर. सी. ध्रुव, स.वि.अ. मस्तुरी
38.	शिवनाथ महिला मछुआ सह. समि. मर्या. दगौरी	3827/28-12-96	कु. पूजा बोथरा, सह.निरी.
39.	छ.ग. कर्म. साख सह. समि. मर्या. नगरनिगम बिलासपुर	268/05-02-09	आर.डी.कुल्हारा, अंके. अधि.
40.	पत्थर गिट्टी खदान सह. समि. मर्या. बांकीधाट	3879/03-11-97	श्री एन. आर. भगत, सह.निरी.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/1262.—शिवांजली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. प्रियदर्शनीय नगर, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर पं. क्र. 96 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1151 दिनांक 13-04-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् शिवांजली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., प्रियदर्शनीय नगर, बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 96 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. बी. ढारगवे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/1311.—भू विस्थापित कामगार सहकारी समिति मर्या. जांजी, पं. क्र. 145 दिनांक 06-05-2003 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/925 दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् भू विस्थापित कामगार सहकारी समिति मर्या. जांजी, पं. क्र. 145 दिनांक 06-05-2003 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/1312.—बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3933 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/922 दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या., नवाडीह, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर पं. क्र. 3933 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप-पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक/2015/03.—कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर के आदेश क्रमांक परि./2015/1158 दिनांक 13-4-2015 के तहत श्री सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर पं. क्र. 238 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत मुझे परिसमापन नियुक्त किया गया है. अत: छ.ग. सहकारी संस्थायें, नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है श्री सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर पं. क्र. 238 के दावेदार/लेनदार अपने दावे में लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर स्थान कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर कार्यालयीन समय में परिसमापक श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास श्री सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर पं. क्र. 238 का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

नमिता विश्वास,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.